

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना
सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२१-

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-४५४ दिनांक-११.०४.२०२२ के क्रमांक -५८ पर अंकित विवरणानुसार डॉ० विधु शेखर, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवरिया, गोपालगंज के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

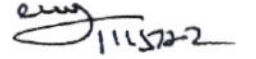
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश " डॉ० विधु शेखर, दंत चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवरिया, गोपालगंज " के स्थान पर " डॉ० विधु शेखर, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवरिया, गोपालगंज " अंकित हो गया था जिसे " डॉ० विधु शेखर, दंत चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवरिया, गोपालगंज " पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२१-५५९ पटना, दिनांक:- ११-०५-२०२२
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं डॉ० विधु शेखर, दंत चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवरिया, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।


11/05/22